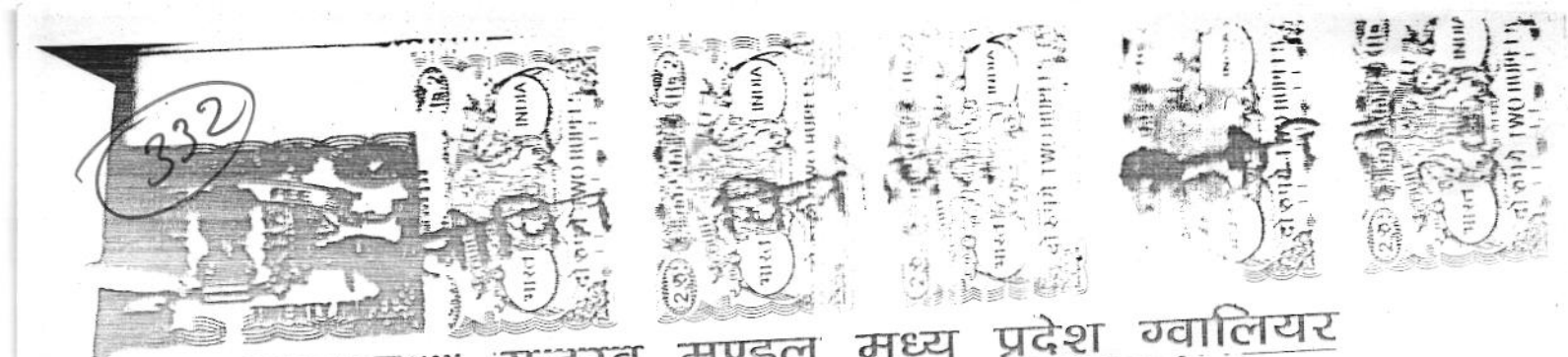

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्र. /2018

निगरानी/अनूपपुर/भू.रा/2018/0848

अशोक कुमार छिब्बर पिता केदारनाथ छिब्बर निवासी- ग्राम सकरिया तहसील व जिला अनूपपुर (म.प्र.) --आवेदक

विरुद्ध

1. जगदीश प्रसाद,
2. चन्द्रिका प्रसाद, दोनो पुत्रगण गौरीशंकर केशवानी,
3. चन्द्रशेखर,
4. पंकज, दोनो पुत्रगण अनूपपुर चेतनानगर तहसील व जिला अनूपपुर (म.प्र.)
5. सीताराम पटेल पुत्र स्व श्री रामदास पटेल, ग्राम सकरिया तहसील व जिला अनूपपुर (म.प्र.)
6. पवन छिब्बर पुत्र केदारनाथ छिब्बर, निवासी- ग्राम सकरिया तहसील व जिला अनूपपुर (म.प्र.)

---अनावेदकगण

विनोद भार्गव अधि.
द्वारा आज दि. 1-2-18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 16-2-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 1-2-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

विनोद भार्गव
एडवोकेट
ग्वालियर
01-02-2018

<u>न्यायालय तहसीलदार महोदय, तहसील जिला अूनपपुर, द्वारा प्रकरण क्रमांक 04/अ-12/16-17 में पारित आदेश पारित दिनांक 24/10/2017 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।</u>

माननीय महोदय,

आवेदक का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत हैः-

<u>प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः</u>

1. यहकि, आवेदक ने अपने भूमि स्वामी स्वत्व एवं आधिपत्य की सर्वे क्रमांक 6 का सीमांकन अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा कराये जाने हेतु कलेक्टर

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :—दो / निगरानी / अनूपपुर / भू.रा. / 2018 / 0848

अशोक कुमार छिब्बर विरूद्ध जगदीश प्रसाद आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18—03—2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से श्री विनोद भार्गव अभिभाषक उपस्थित। 3. यह निगरानी तहसीलदार, तहसील अनूपपुर, जिला—अनूपपुर के प्रकरण क्रमांक 04 / अ—12 / 2016—17 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 24—10—2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 4. म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है। 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी, जिला—अनूपपुर को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 13—05—2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये। (आर के जैन) सदस्य 18/03/19	